न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2019

अपीलांट

1. कांतिलाल पुत्र प्रेमाजी आयु 62 वर्ष
2. गोविन्दराम पुत्र प्रेमाजी आुय 60 वर्ष
3. गिरधारीलाल पुत्र प्रेमाजी आुय 52 वर्ष सर्वजातियान रावल (ब्राहमण) पेशा खेती निवासीगण सारणेश्वर जी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल जाति पटेल निवासी उपरट हाल निवासी पाडीव तहसील व जिला सिरोही (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सिरोही तहसील व जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 15/03/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2017 बउनवान कान्तिलाल बनाम मगनभाई व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ

न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खसरा नंबर 2343, 2356, 2357, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2367 कुल खसरा नंबर 9 रकबा 09.6800 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण के पिता प्रेमा पुत्र गमनाजी रावल के जरिये पिछले 65 वर्षो से अधिक समय से लगातार बिना रूकावट एवं शांतिपूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की जानकारी में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जो संवत 2008 से लगातार है। अपीलांटगण के पिता प्रेमाजी वल्द गमनाजी रावल निवासी सारणेश्वर जी रोड को गांव के जागीरदार ने वादग्रस्त आराजी भेंट की थी एवं प्रेमाजी को निर्देश दिये थे कि उक्त जमीन की आय से सारणेश्वरजी मंदिर भूमि मे देवली के रूप में है उसकी पूजा का तमाम खर्च वहन करेगे, तब से अपीलांट के पिता वादग्रस्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्त करके खेती करते आ रहे है एवं वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता प्रेमाजी एक मात्र खातेदार कृषक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2013 में अपीलांटगण के पिता प्रेमा वल्द गमनाजी कौम रावल साकिन सारणेश्वरजी माफिक धरमादा के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को एक वर्ष हेतु वादग्रस्त आराजी भोग पर काश्त करने हेतु दी गई थी एवं उस आधार पर पाडीव गाव में भूप्रबंध संवत 2012 में होने से गलत रूप से नाम भू–प्रबंध कर्मचारियो द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम दर्ज कर लिया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी का लगान भी अपीलांटगण के पिता प्रेमाजी अदा करते आ रहे है एवं प्रेमाजी के पश्चात अपीलांटगण ने लगान अदा किया है, जिसकी विगोठी की रसीद अपीलांटगण के नाम जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य व बयानो पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिरोही द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मगनभाई का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को पूर्ण रूप से स्वीकार

करते हुए वादग्रस्त आराजी की मौका फर्द पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रूबरू मौतबिरान के समक्ष मौका फर्द तैयार की गई, जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा कभी भी वादग्रस्त आराजी पर खेती नहीं की गई है व न ही उसे कभी देखा गया है एवं न ही रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। जो कि लोक दस्तावेज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज हो गया है। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाहो की साक्ष्य एवं दस्तावेजो से वाद बखुबी साबित किया है। उक्त गवाहो एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के खंडन में कोई साक्ष्य रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं गवाहो को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खसरा नंबर 2343, 2356, 2357, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2367 कुल खसरा नंबर 9 रकबा 09. 6800 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन में खाता संख्या 565 जमाबंदी संवत 2070 से 2073, खाता संख्या 622 जमाबंदी संवत 2014 से 2017 जमाबंदी संवत 2018 से 2021 जमाबंदी संवत 2022 से 2025 जमाबंदी संवत 2026 से 2029, जमाबंदी संवत 2030 से 2033, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस लगान की रसीद, खतौनी बंदोबस्त सवंत 2013 से 2033, खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2033 प्रस्तुत किये है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से वादग्रस्त आराजी का पुराने खसरा से नये खसरा बनना साबित है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी की राजस्व रेकर्ड अनुसार जमाबंदी सवंत 2014 से 2017 राजस्व ग्राम पाडीव के अनुसार भूमि अधिकारी के कॉलम मे श्री सारणेश्वर महादेव स्थान सारणेश्वरजी सिरोही व एतमाम पुजारी प्रेमा वल्द गमना रावल सारणेश्वरजी सिरोही माफी धरमादा दर्ज है। उसके पश्चात समस्त जमाबंदीयो में मगनभाई वल्द मणीभाई पटेल सा. उबरट हाल पाडीव दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह स्पष्ट है कि जमाबंदी सवंत 2014 से 2017 से पूर्व वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता प्रेमा के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियो

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। राजस्व कर्मचारियो को केवल मात्र पुराने इन्द्राज को दोहराने का अधिकार था, किन्तु उन्होने बिना किसी सक्षम आदेश के वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की दी। जो कि कानूनन विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे खतौनी बंदोबस्त सवंत 2012 से 2033 प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी श्री परमेश्वर महादेव स्थान सारणेश्वर जी मु. सिरोही बएतमाम पुजारी प्रेमा वल्द गमना कौम रावल ब्राहम्ण साकिन सारणेश्वरजी मु. सिरोही माफी धरमादा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सवंत 2012 से अपीलांटगण के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। अब प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या सेटलमेंट से पूर्व किसी व्यक्ति का किसी आराजी पर कब्जा काश्त हो तो क्या उक्त व्यक्ति को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है अथवा नही ? इस संबध में 1996 आर.आर.डी 232 श्रीमति वैजन्ती और अन्य बनाम मुरलीधर और अन्य, में पेज संख्या 327 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "इस मामले में वादग्रस्त आराजी में से 16 बीघा खाम भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पहले, यानि गिरदावरी सवंत 2009 से 2012 व जमाबंदी एक्सी 8 संवत 2012 में लादू का 16 बीघा खाम भूमि पर उपकृषक की हैसियत से कब्जा था। खातेदारी हको की घोषणा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी/रेस्पोन्स के हक में जारी की है, जिसमे कोई कानूनी भूल नहीं की गई है।" इसी प्रकार आर.आर.डी 63 सीताराम बनाम मंगला 1965 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " यदि कोई व्यक्ति धारा 19 की शर्तो व प्रावधानो के अनतर्गत आता है तो उसे खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है।" इसी प्रकार नंदलाल बनाम नाजीम खान 1988 आर.आर.डी 133 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " प्रत्येक व्यक्ति जो दिनांक 15.10.55 को काश्तकार था। या भूमि पर उपकाश्तकार था(चारागााह को छोडकर) दिनांक 05.04.61 को ऐसी भूमि का खातेदार होगा, बशर्ते कि धारा 19 अध्याय 3 के अन्तर्गत दी गई शर्तो को पूरा करता हो, चाहे उसका नाम वार्षिक रजिस्टर में दर्ज हो अथवा नहीं।" इस प्रकार श्री नत्थू बनाम सेवा 1962 आर.आर.डी 239 उदमीराम बनाम रामदेव 1963 आर.आरडी 331 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार उसी व्यक्ति को दिये जा सकते है जिसका नाम भू–अभिलेख में 15.10.55 का बतौर उप कृषक दर्ज है।" इसी प्रकार आर.बी. जे (10) 2003 पेज 205 सरकार बनाम

प्रेमशंकर व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि " The Section 19 to the Rajasthan Tenancy Act provides the procedure for acquiring Khatedari rights. Section 19 (1–A) was added to remove the difficulties. This is one of major land reform introduced by the Act to confer Khatedari rights on sub-tenants and tenants of Kasht. The persons falling in this category acquire the Khatedari rights automatically without any step being taken by them. Further in view of the continous possession over the subject land of the wirt petitioners prior the year 1946 and they being sub-tenant on the date of commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 have automatically acquired khatedri rights. इसी प्रकार आर.बी.जे (15) 2008 पेरा नंबर 17 व 21 नेताराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में उक्त कथन की पुष्टि की गई है। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तो से यह स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आराजी पर वर्ष 1955 से पूर्व से काबिज हो तो वह उक्त आराजी का स्वतः खातेदार बना जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सिरोही द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावे के साथ संलग्न मौका फर्द दिनांक 01.08.2018 में यह स्पष्ट अंकन है कि "उक्त भूमि (वादग्रस्त भूमि) वर्तमान जमाबंदी 2070 से 73 के खाता संख्या 622 के अनुसार मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि अरठनामे "मेरीयोवाला" पर काश्तकार समेलाराम पुत्र मोतीजी रेबारी नि. पाडीव उपस्थित मिला, उसने बताया कि वह करीब 30 वर्षो से उक्त भूमि पर हासल पेटे खेती कर रहा है उक्त भूमि पर कब्जा कान्तिलाल, गोविन्दलाल, गिरधारीलाल पि. प्रेमाजी जाति रावल नि. सारणेश्वरजी का ही है तथा उनके कहें अनुसार वह 30 वर्षो से उक्त भूमि पर खेती कर रहे है। मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल को हमने कभी भी पाडीव गांव में नही देखा है तथा इस भूमि पर कभी खेती करते नहीं देखा है। उक्त भूमि का लगान हमेशा कान्तिलाल, गोविन्दलाल, गिरधारीलाल पि. प्रेमाजी रावल ही अदा करते आ रहे है। कुंए पर सारणेश्वर जी महादेव की देवली स्थित है। जिसकी पूजा भी कान्तिलाल वगैरह रावल करते आ रहे है। उक्त भूमि पर कब्जा कान्तिलाल, गोविन्दलाल, गिरधारीलाल पि. प्रेमाजी रावल नि. सारणेश्वरजी का ही है।" इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब के अन्तर्गत वाद पत्र के बिन्दु संख्या 01, 02, 03, 05,

08, 09 एवं 12 में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया है। तहसीलदार सिरोही (राजपैरोकार) सरकारी भूमिधारी द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है एवं वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा होना ताईद किया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर कभी भी न होना ताईद किया है। जिससें तहसीलदार सिरोही (राजपैरोकार) सरकारी भूमिधारी की मौका रिपोर्ट एवं जवाबदावे को दरकिनार किया जाना हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो व तहसीलदार सिरोही (राजपैरोकार) सरकारी भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने बाबत की गई स्वीकारोक्ति का दरकिनार करते हुए एवं दस्तावेजो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2017 बउनवान कान्तिलाल बनाम मगनभाई व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 को अपास्त किया जाता है। एवं श्री सारणेश्वर महादेव स्थान सारणेश्वरजी सिरोही व एतमाम प्रेमा वल्द गमना रावल सारणेश्वरजी सिरोही एवं प्रेमा वल्द गमना के वारिसान अपीलांटगण को तहसीलदार सिरोही (राजपैरोकार भूमिधारी) की स्वीकारोक्ति (वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा होना व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा नहीं होना माना है) के आधार पर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम पाडीव पटवार क्षेत्र पाडीव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जावाल तहसील सिरोही के वर्तमान खसरा नंबर 2343, 2356, 2357, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2367 कुल खसरा नंबर 9 रकबा 09.6800 हैक्टेयर का संयुक्त तौर पर पूर्ववर्ती Entry के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि तद्नुसार ही राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2019

अपीलांट

1. कांतिलाल पुत्र प्रेमाजी आयु 62 वर्ष
2. गोविन्दराम पुत्र प्रेमाजी आुय 60 वर्ष
3. गिरधारीलाल पुत्र प्रेमाजी आुय 52 वर्ष सर्वजातियान रावल (ब्राहमण) पेशा खेती निवासीगण सारणेश्वर जी सिरोही तहसील व ज़िला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल जाति पटेल निवासी उपरट हाल निवासी पाडीव तहसील व जिला सिरोही (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सिरोही तहसील व जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2017 बउनवान कान्तिलाल बनाम मगनभाई व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 को अपास्त किया जाता है। एवं श्री सारणेश्वर महादेव स्थान सारणेश्वरजी सिरोही व एतमाम प्रेमा वल्द गमना रावल सारणेश्वरजी सिरोही एवं प्रेमा वल्द गमना के वारिसान अपीलांटगण को तहसीलदार सिरोही (राजपैरोकार भूमिधारी) की स्वीकारोक्ति (वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा होना व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा नहीं होना माना है) के आधार पर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम पाडीव पटवार क्षेत्र पाडीव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जावाल तहसील सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

के वर्तमान खसरा नंबर 2343, 2356, 2357, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2367 कुल खसरा नंबर 9 रकबा 09.6800 हैक्टेर का संयुक्त तौर पर पूर्ववर्ती Entry के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि तद्नुसार ही राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली